



झारखण्ड शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची

Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi
D.I.E.T. Campus, Ratn, Ranchi – 835222, e-mail: jcet.ran@gmail.com

पत्रांक: जे.सी.ई.आरटी/प्रशि. 03-115/2023(Part)/...।३९.....

राँची, दिनांक १३ / ०१ / २०२५

प्रेषक,

शशि रंजन, भा.प्र.से.

निदेशक

सेवा में,

प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची,
सचिव, झारखण्ड अधिविद्या परिषद्, राँची,
सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/जिला शिक्षा पदाधिकारी/
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी,
सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,
सभी डायट प्राचार्य,
सभी कोटि के सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित)
विद्यालयों के प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक।

विषय: सभी श्रेणी के सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों के लिए संशोधित एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका, 2025 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सभी श्रेणी के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों के लिए संशोधित एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका, 2025 पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अंकित करना है कि उक्त अवकाश तालिका का प्रचार-प्रसार अपने अधीनस्त विद्यालयों में करना सुनिश्चित करेंगे ताकि तालिका के अनुसार विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

कार्यालय के पत्रांक 1949 राँची, दिनांक 24/12/2024 द्वारा प्रकाशित अवकाश तालिका 2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

(प्रदीप कुमार चौहान)
(प्रदीप कुमार चौहान)
उप निदेशक

विश्व सभाजन
(शशि रंजन)
(शशि रंजन)
निदेशक

ज्ञापांक : जे.सी.ई.आरटी/प्रशि. 03-115/2023(Part)/...।३९.....

राँची, दिनांक १३ / ०१ / २०२५

प्रतिलिपि: सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ प्राथमिक शिक्षा/ राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एवं निदेशक, झारखण्ड मध्याहन भोजन योजना प्राधिकार एवं संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(प्रदीप कुमार चौहान)
(प्रदीप कुमार चौहान)
उप निदेशक

(शशि रंजन)
(शशि रंजन)
निदेशक



संशोधित
सभी कोटि के सरकारी/सरकारी सहायता
प्राप्त विद्यालयों के लिए एकीकृत वार्षिक
अवकाश तालिका - 2025



क्र. सं.	अवकाश तिथि (ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार)	सप्ताह के दिन	अवकाशों की संख्या	अवकाश का नाम
1	1 जनवरी	बुधवार	1	शीतकालीन अवकाश
2	2 जनवरी	गुरुवार	1	शीतकालीन अवकाश
3	3 जनवरी	शुक्रवार	1	शीतकालीन अवकाश
4	4 जनवरी	शनिवार	1	शीतकालीन अवकाश
5	5 जनवरी	रविवार	0	शीतकालीन अवकाश
6	14 जनवरी	मंगलवार	1	मकर संक्रांति/सोहराय
7	23 जनवरी	गुरुवार	1	नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती
8	26 जनवरी	रविवार	0	गणतंत्र दिवस
9	2 फरवरी	रविवार	0	बसंत पंचमी
10	12 फरवरी	बुधवार	1	संत रविदास जयंती
11	26 फरवरी	बुधवार	1	महाशिवरात्रि
12	13 मार्च	गुरुवार	1	होलिका दहन
13	14 मार्च	शुक्रवार	1	होली
14	31 मार्च	सोमवार	1	ईद-उल-फितर
15	1 अप्रैल	मंगलवार	1	सरहुल
16	2 अप्रैल	बुधवार	1	सरहुल (फुलखोसी)
17	6 अप्रैल	रविवार	0	रामनवमी
18	10 अप्रैल	गुरुवार	1	महावीर जयंती
19	14 अप्रैल	सोमवार	1	आंबेडकर जयंती
20	18 अप्रैल	शुक्रवार	1	गुड फ्राइडे
21	1 मई	गुरुवार	1	मजदूर दिवस
22	12 मई	सोमवार	1	बुद्ध पूर्णिमा
23	22 मई	गुरुवार	1	ग्रीष्मकालीन अवकाश
24	23 मई	शुक्रवार	1	ग्रीष्मकालीन अवकाश
25	24 मई	शनिवार	1	ग्रीष्मकालीन अवकाश
26	25 मई	रविवार	0	ग्रीष्मकालीन अवकाश
27	26 मई	सोमवार	1	ग्रीष्मकालीन अवकाश
28	27 मई	मंगलवार	1	ग्रीष्मकालीन अवकाश
29	28 मई	बुधवार	1	ग्रीष्मकालीन अवकाश

30	29 मई	गुरुवार	1	ग्रीष्मकालीन अवकाश
31	30 मई	शुक्रवार	1	ग्रीष्मकालीन अवकाश
32	31 मई	शनिवार	1	ग्रीष्मकालीन अवकाश
33	1 जून	रविवार	0	ग्रीष्मकालीन अवकाश
34	2 जून	सोमवार	1	ग्रीष्मकालीन अवकाश
35	3 जून	मंगलवार	1	ग्रीष्मकालीन अवकाश
36	4 जून	बुधवार	1	ग्रीष्मकालीन अवकाश
37	7 जून	शनिवार	1	बकरीद/ईद-उल-जुहा
38	27 जून	शुक्रवार	1	रथ यात्रा
39	30 जून	सोमवार	1	हुल दिवस
40	6 जुलाई	रविवार	0	मुहर्रम
41	9 अगस्त	शनिवार	1	विश्व आदिवासी दिवस/ रक्षा बंधन
42	15 अगस्त	शुक्रवार	1	स्वतंत्रता दिवस
43	16 अगस्त	शनिवार	0	जन्माष्टमी (तृतीय शनिवार)
44	27 अगस्त	बुधवार	1	गणेश चतुर्थी
45	3 सितंबर	बुधवार	1	करमा
46	4 सितंबर	गुरुवार	1	करमा (फुलखोरी)
47	5 सितंबर	शुक्रवार	1	मिलाद-उन-नबी या ईद- ए- मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस)
48	17 सितंबर	बुधवार	1	विश्वकर्मा पूजा
49	22 सितंबर	सोमवार	1	शारदीय नवरात्र / कलश स्थापना
50	29 सितंबर	सोमवार	1	दशहरा (महासप्तमी)
51	30 सितंबर	मंगलवार	1	महाअष्टमी
52	1 अक्टूबर	बुधवार	1	महानवमी
53	2 अक्टूबर	गुरुवार	1	विजयादशमी/ गाँधी जयंती
54	20 अक्टूबर	सोमवार	1	दीपावली
55	22 अक्टूबर	बुधवार	1	गोवर्धन पूजा
56	23 अक्टूबर	गुरुवार	1	भैयादूज/ चित्रगुप्त पूजा
57	27 अक्टूबर	सोमवार	1	सूर्य षष्ठी डाला छठ (सायं अर्ध्य)
58	28 अक्टूबर	मंगलवार	1	सूर्य षष्ठी डाला छठ (प्रातः अर्ध्य)
59	5 नवंबर	बुधवार	1	गुरुनानक जयंती
60	15 नवंबर	शनिवार	0	राज्य स्थापना दिवस (तृतीय शनिवार)
61	25 दिसंबर	गुरुवार	1	क्रिसमस डे (बड़ा दिन)
62	28 दिसंबर	रविवार	0	शीतकालीन अवकाश
63	29 दिसंबर	सोमवार	1	शीतकालीन अवकाश

64	30 दिसंबर	मंगलवार	1	शीतकालीन अवकाश
65	31 दिसंबर	बुधवार	1	शीतकालीन अवकाश
66	स्थानीय पर्व एवं आकस्मिक स्थानीय आवश्यकतानुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर से निर्धारित किये जाने वाले अवकाश		5	माघे पर्व/ बाहा पर्व/ चेहल्लुम/ जिउतीया/ शब्बे- बारात/ हरितालिका व्रत (तीज)/ रमजान का अंन्तिम शुक्रवार/ एरोक पोरोब/ हरियाड़ पोरोब/ दसांय/ बेलबोरोन/ नवान्न/ इस्टर मंडे रोजो संक्रांति/ ओटोनोमस पर्व/ मिशन एवं अन्य पर्व आदि।
कुल		60		

- (i) उपरोक्त अवकाश तालिका सभी कोटि के सरकारी/ गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों पर लागू होगा। (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर)।
- (ii) विभाग मौजूदा मौसम की स्थिति के आधार पर शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियों में संशोधन कर सकता है।
- (iii) विभाग द्वारा अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार के जगह पर शुक्रवार को होगी एवं रविवार को पढ़ने वाले अवकाश के दिनों में बंद रहेंगे। ऐसे अवकाश दिवसों की संख्या शुक्रवार को पढ़ने वाले अवकाशों के बराबर है।
- (iv) चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (v) सभी जिलों द्वारा उपरोक्त स्वीकृत वार्षिक अवकाश तालिका को सार्वजनिक रूप से सभी विद्यालयों के अनुपालन हेतु प्रचारित / प्रसारित किया जाएगा। जिला विशेष अपने जिले के स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप 05 दिनों की अवकाश की सूची झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी., राँची को दिनांक 15.01.2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- (vi) जिला द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पाँच दिवसों के अवकाश के अलावा विशेष परिस्थिति में यदि संबंधित जिले के उपायुक्त अथवा विभागीय प्रधान सचिव / सचिव के आदेश से अवकाश घोषित किया जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति किसी रविवार अथवा अन्य अवकाश के दिनों में पठन-पाठन सुनिश्चित कर करनी होगी।
- (vii) राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन विद्यालय में किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय पर्व को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर ऐलियाँ / प्रभात फेरी में बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे।
- (viii) जिला एवं राज्य स्तर से प्राप्त विभागीय आदेश अथवा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार विद्यालय में यदि कोई विशिष्ट दिवस / समारोह आयोजित किये जाते हैं तो इसे विद्यालय शिक्षण समय अपराह्न 03:00 बजे के बाद आयोजित किये जायें।
- (ix) अन्य विभागों द्वारा संचालित जागरूकता / उन्मुखीकरण हेतु आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम हेतु प्रशासी विभाग से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/-

राज्य परियोजना निदेशक, जे.ई.पी.सी.
—सह-निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी.
राँची

ह0/-

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड